न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

रा0रि0प्र0क्रं0 / नि० 1316 II-16 वर्ष 2016

शैलैष कुमार नगायच पिता स्व0 श्री जगदीश नगायच उम्र 35 वर्ष
निवासी नन्ही पवई, तहसील पवई, जिला पन्ना म0प्र0.....आवेदक / रिवीजनकर्ता

/ / बनाम / /

म0प्र0 शासन .... अनावेदक / रिवीजनग्रहिता

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भ0रा0सं0 1959 रिवीजन विरूद्व न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय पवई जिला पन्ना म0प्र0 के रा0प्र0क्रं0 42 / अ–68 / 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 23.04.2016 से दुखित होकर माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक निराकरण हेतु सादर संप्रेषित है।

मान्यवर,

आवेदक / रिवीजनकर्ता निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर रिवीजन प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि :–

प्रकरण के तथ्य :–

1. यह कि आवेदक / रिवीजनकर्ता के स्व0 पिता के नाम एवं चाचा श्री मोहनलाल के नाम पर पवई नगर पंचायत की आराजी नम्बर 2412 / 6 रकवा 4.047हे0 के अंशभागो पर अलग–अलग लीच नजूल अधिकारी पन्ना द्वारा पट्टा प्रदान किया गया है। हल्का पटवारी द्वारा तहसीलदार के समक्ष आराजी नम्बर 2412 / 6 रकवा 4.047हे0 अतिक्रमण के प्रतिवेदन पर आवेदक के विरूद्व अतिक्रमण का धारा 248 म0प्र0भू0रा0सं0 का प्रकरण तैयार किया गया हैं तथा यह लेख किया गया है कि उक्त आराजी के अंशभाग 68x80 वर्ग फिट (बाद में सुधार कर 50x40 वर्ग फिट) पर पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण किया गया है। बाद का कोई कारण न होने से तथा नजूल भूमि पर न्यायालय तहसीलदार को 248 (2) म0प्र0भ0रा0सं0 के परन्तुक्य के तहत कार्यवाही करने की अधिकारिता न होने से आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का आवेदन पत्र एवं समरिथत दस्तावेजो सहित प्रस्तुत किया गया था, जिसे न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय पवई द्वारा रा0प्र0क्रं0 42 / अ–68 / 2015–16 आदेश दिनांक 23.04.2016 को बिना किसी कानूनी आधारों के निरस्त कर दिया गया है, जिससे यह रिवीजन माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है।

रिवीजन के आधार

2. यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने रा0प्र0क्रं0 42 / अ–68 / 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 23.04.2016 को पारित करने में महान कानूनी भूल की है जो स्थिर रखे जाने योग्य नही है।

3. यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक के पिता श्री जगदीश नगायच एवं चाचा श्री मोहनलाल नगायच के नाम पर आराजी नम्बर

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1316–दो/2016 जिला –पन्ना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभ. आदि के हस्ताक्षर
16.1.17	आवेदक के अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा द्वारा यह निगरानी तहसीलदार तहसील पवई जिला पन्ना के प्रकरण कमांक 42/अ–68/2015–16 में पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 23.4.16 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि आवेदक के पिता स्व0 श्री जगदीश नगायच एवं चाचा श्री मोहनलाल के नाम पर पवई नगर पंचायत की आराजी नम्बर 2412/6 रकवा 4.047 हैक्टेयर के अंश भागों पर अलग–अलग लीज नजूल अधिकारी पन्ना द्वारा पटट्ा प्रदान किया गया था । हल्का पटवारी द्वारा तहसीलदार के समक्ष आराजी नम्बर 2412/6 रकवा 4.047 है0 अतिकमण के प्रतिवेदन पर आवेदक के विरूद्व अतिकमण की धारा 248 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के अंतर्गत प्रकरण तैयार कर यह लेख किया गया कि उक्त आराजी के अंश भाग 68X80 वर्ग फीट (बाद में सुधार कर 50X40 वर्ग फीट) पर पक्का मकान बनाकर अतिकमण किये जाने का कारण बताओ नोटिस दिनांक 7.1.16 को दिया गया था जिसके जबाव में आवेदक के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 11.1.16 को अपने जबाव में लेख किया गया कि खसरा नम्बर 2412/6 रकवा 4.047 है0 के जुज रकवा 68 X80	

वर्ग फुट पर हमारे पिता स्व0 श्री जगदीश प्रसाद नगायच के नाम नजूल विभाग द्वारा लीज स्वीकृत की गई थी उसी जमीन पर पुराना मकान बना हुआ है। उक्त जमीन में कोई नया निर्माण नहीं कराया गया है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार के न्यायालय में आवेदन पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 का प्रस्तुत किया जिसे तहसीलदार पवई द्वारा दिनांक 23.4.16 को निरस्त कर दिया गया है जिससे परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3—आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक के पिता स्व0 श्री जगदीश नगायच एवं चाचा श्री मोहनलाल के नाम पर पवई नगर पंचायत की आराजी नम्बर 2412/6 रकवा 4.047 हैक्टेयर के अंश भागों पर अलग—अलग लीज नजूल अधिकारी पन्ना द्वारा पटट्ा प्रदान किया गया था जो मांग सूची नजूल वर्ष 2005—06 नगर पवई के सरल कमांक 48 पर दर्ज है एवं इसी प्रकार मांग सूची नजूल वर्ष 2005—06 नगर पवई के सरल कमांक 35 मोहनलाल पिता राममनोहर नगायच को सर्वे कमांक 2412/6 में 80X30=2400 वर्ग फुट दर्ज है। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में आगे कहा गया है कि नजूल भूमि पर बिना किसी युक्ति संगत कारण के अधिकारिता से परे आदेश दिनांक 23.4.16 पारित किया गया है जो महान कानूनी भूल से परिपूर्ण है ऐसा आदेश विधि प्रावधानों से त्रुटिपूर्ण है इसे स्थिर नहीं रखा जा सकता । अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.4.16 निरस्त कर आवेदक की निगरानी स्वीकार की जावे।

4— अनावेदक शासन के पैनल अधिवक्ता श्री राजीव गौतम द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह विधि प्रावधानों से उचित है उसमें हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। अंत में निवेदन किया गया है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जावे।

5—उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो उनके द्वारा अपनी निगरानी मेंमों में उल्लेख किया गया है। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि नजूल अधिकारी द्वारा जो सूची जारी की गई है उसमें सरल कमांक 48 पर 15x20=300 वर्गफीट भूमि दर्शाई गई है एवं सरल सूची कमांक 35 पर चाचा श्री मोहन लाल नगायच के नाम आराजी नम्बर 2412/6 में 80X30 =2400 वर्गफीट पर स्थाई लीज स्वीकृत की गई है। इस तरह से कुल लीज का रकवा 2700 वर्ग फीट होता है और 2000 वर्ग फीट पर मकान निमार्ण होना बताया है, इस तरह निर्माण रकवा लीज के रकवा परधि के अंर्तगत आता है इस कारण नजूल आराजी नम्बर 2412/6 पर आवेदक के द्वारा कोई अवैध अतिकमण दर्शित नहीं होता है। लेकिन पटवारी द्वारा प्रतिवेदन में लीज जो स्वीकृत की गई है उस संबंध में कोई लेख नहीं किया गया है और न ही जो प्रतिवेदन तैयार किया गया है उसमें किसी भी व्यक्ति के गवाह के रूप में हस्ताक्षर नहीं है और प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख नहीं किया गया है कि जगदीश प्रसाद को कितनी भूमि लीज पर स्वीकृत की गई है और कितनी भूमि पर अतिकमण है।

आवेदक को दिनांक 25.8.2011 को लीज भूमि से बकाया वर्ष 1987–88 से 10–11 तक रूपये 552/–रूपये का एवं आदेशिक फीस रूपये 5 कुल 557 /– रूपये का शुल्क जमा कराने का दिनांक 25.8.11 को फार्म " अ" भेजा है उसमें भी कहीं भी रकवा नहीं दर्शाया गया है। आवेदक द्वारा उपरोक्त राशि दिनांक 24.10.11 को चालाना द्वारा राशि का भुगतान किया गया है । प्रकरण में संलग्न पटवारी द्वारा अतिक्रमण का पत्र दिया गया है उसमें यह भी उल्लेख नहीं किया गया है कि आवेदक को लीज पर स्वीकृत भूमि के अलावा कितने भाग पर आवेदक द्वारा अतिक्रमण किया गया है । यह कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार द्वारा इस ओर ध्यान आकर्षित नहीं किया गया है कि आवेदक को नजूल अधिकारी द्वारा लीज स्वीकृत भूमि को छोड़कर 50X40 पर अतिक्रमण किया गया है या संपूर्ण भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। ऐसा अवैध आवेदक का अतिक्रमण दर्शित नहीं होता है। आवेदक का आवेदन स्वीकार किया जाता है। परिणामस्वरूप तहसीलदार पवई के प्रकरण कमांक 42/अ–68/2015–16 में पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 23.4.16 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के साथ आदेश की प्रति भेजी जावे। राजस्व मण्डल का अभिलेख संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य